“संविधान को धोखा मत दो। नागरिकता संशोधन विधेयक को वापस लें। ”

स्वतंत्रता के बाद से, भारतीय नागरिकता संविधान में दृढ़ता से निहित है। अपने नागरिकता प्रावधानों में, संविधान लिंग, जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय या भाषा की परवाह किए बिना समानता के मूल सिद्धांतों पर जोर देता है।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 भारत की समावेशी समग्र दृष्टि को चीरता है जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को निर्देशित किया। 1955 के नागरिकता अधिनियम में लाए गए संशोधनों से , नया विधेयक संविधान के इन मूल सिद्धांतों में से हर एक का उल्लंघन करता है। वास्तव में यह केवल क़ानून में बदलाव नहीं है। यह एक ऐसा बिल है जो भारतीय गणतंत्र के चरित्र को मौलिक रूप से बदल देगा।

हमारे स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की स्थापना के बाद पहली बार यह विधेयक धर्म को नागरिकता का आधार बनाता है। विधेयक नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करना चाहता है ताकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गैर-मुस्लिमों को जल्द नागरिकता प्रदान की जा सके । यह पहली बार कुछ ख़ास धर्मों को विशेषाधिकार प्रदान करने का एक वैधानिक प्रयास है। यह एक प्रयास है क़ानून द्वारा मुसलमानों को माफी और नागरिकता की संभावना से बाहर करने के लिए - और इसकी वजह उनके धर्म के अलावा और कुछ भी नहीं होगी। हक़ीक़त में इस देश के सैकड़ों साल के प्रशासनों के इतिहास को अगर देखा जाए तो यह नहीं मिलेगा कि प्रवासियों या शरणार्थियों को उनके धर्म के आधार पर नागरिकता के लिए मना किया गया हो।

CAB को नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के साथ देखा जाना चाहिए। पहले से ही असम में NRC अभ्यास ने हमें लोगों को विभाजित करने, कागजात के पेंच, डिटेंशन कैंप और फॉरेन ट्रिब्यूनल से नागरिकता को जोड़ने की भयानक मानवीय लागतों को दिखाया है, खासकर उन लोगों के बीच जो पहले से ही अनिश्चित अस्तित्व के डर में जी रहे हो। मौत, टूटे परिवार; डिटेंशन कैंप और फॉरेन ट्रिब्यूनल; भय, नागरिक न होने का डर - यह आम लोग विशेष रूप से अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चों और गरीबों को भुगतना पड़ रहा है और यह जारी है। नागरिकता विधेयक और साथ ही एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी देश भर में एक व्यापक विभाजन करेगा। यह सब लोगों की महत्वपूर्ण जरूरतों- जैसे खाद्य सुरक्षा, रोजगार, जाति, समुदाय, लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक, बोलने की स्वतंत्रता, आस्था की आज़ादी और अपनी मर्ज़ी से जीने के अधिकार को संबोधित करने के बजाय किया जा रहा है।

विधेयक में कहा गया है कि तीन मुस्लिम बहुल देशों के गैर-मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी यदि उन्होंने अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है; या अगर वे इस तरह के उत्पीड़न के डर से भारत आए हैं । म्यांमार से रोहिंग्या या श्रीलंका से तमिलों या पाकिस्तान से अहमदिया जैसे शरणार्थियों को क्यों छोड़ा जाए? केवल तीन देशों पर ध्यान क्यों दें जैसे सिर्फ ये ही शरण चाहने वालों के एकमात्र संभावित स्रोत हैं? विधेयक हमें दिखाता है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप एक शरणार्थी नीति की आवश्यकता है, न कि एक विचारधारा द्वारा निर्धारित कानून की जो राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का उपयोग करता है।

भारतीय नागरिकता संविधान पर आधारित है। नागरिकता संशोधन विधेयक का किसी समुदाय का बहिष्कार करना भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी है। यह संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करता है - जिसमें अनुच्छेद 14,15, 16 और 21 शामिल हैं जो समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं; कानून के समक्ष समानता का अधिकार और भारतीय राज्य द्वारा गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार का भरोसा भी। विधेयक संविधान द्वारा निर्देशित संघीय ढांचे के लिए खतरा है। इसने संसद में बहस के साथ-साथ खुली और व्यापक सार्वजनिक बहस की आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया है।

सांस्कृतिक और शैक्षणिक समुदायों से आने वाले हम सभी इस विधेयक को विभाजनकारी, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हैं। यह एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी के साथ मिलकर देश भर के लोगों के लिए भयावाह पीड़ा लेकर आएगा। यह भारतीय गणतंत्र की प्रकृति को, मौलिक रूप से और अपूरणीय रूप से क्षति पहुंचाएगा। यही कारण है कि हम मांग करते हैं कि सरकार इस विधेयक को वापस ले। यही कारण है कि हम मांग करते हैं कि सरकार संविधान को धोखा न दे। हम विवेक के सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि समान और धर्मनिरपेक्ष नागरिकता प्रदान करने वाली संवैधानिक प्रतिबद्धता को सम्मानित किया जाए।